न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 218/2016 **दायरा दिनांक : 10.05.2016**

उनवान

नरेन्द्र सिंह आत्मज अमर सिंह जी, उम्र 50 साल, जाति राजपूत, निवासी ग्राम आमली जागीर, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— ज्ञान कंवर पुत्री अमर सिंह जी पत्नी नरेन्द्र सिंह जी, जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 288, सुमेर नगर अग्रवाल फार्म के पीछे मानसरोवर, जयपुर

2— राघव सिंह आत्मज अमर सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम आमली जागीर, तहसील अटरू, जिला बारां

3— लक्ष्मण कंवर पुत्री श्री अमर सिंह जी पत्नी श्याम सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

4— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री एस एन सुमन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

श्री ओम प्रकाश नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट नम्बर 3 की आरे से

निर्णय **दिनांक : 20.11.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 94/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम एवं माल आमली जागीर, तहसील अटरू में वादीगण और प्रतिवादी नम्बर 1 के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 23 की खसरा नम्बर 137 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 202/361 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 209/364 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 222/377 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 238 रकबा 7.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 241/396 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 242 रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 343/398 रकबा 0.08 हेक्टर कुल 9 किता की 8.73 हेक्टर आराजी स्थित है । आराजी वादीगण और प्रतिवादीगण की माता प्रेम कंवर के खाते की थी जिनका स्वर्गवास 2011 में हो चुका है । नामान्तरकरण संख्या 30 से आराजी वादीगण और प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से बांट बराबर दर्ज हुई है । प्रतिवादी नम्बर 1 अवैधानिक रूप से सम्पूर्ण आराजी काश्त करना चाहता है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः दावा वादी स्वीकार कर आराजी का विभाजन कर वादीगण का हिस्सा पृथक से दर्ज किया जाये और वादीगण के स्वामित्व की आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा दिलाया जाये और प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम अपने निर्णय दिनांक

16.03.2016 से दावा वादी डिक्री कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि प्रेम कंवर ने अपीलांट की सेवा से प्रसन्न होकर दिनांक 16.11.2010 को एक वसीयत आलेखित की थी । इसके बावजूद अपीलांट का काउंटर क्लेम खारिज किया है । रेस्पोडेंट का कभी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा है । अपीलांट की आपत्ति और काउंटर क्लेम के बाबत कोई तनकी कायम नहीं की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी की खातेदार प्रेम कंवर ने अपीलांट के पक्ष में एक वसीयत तहरीर की थी जिसके आधार पर अपीलांट ने काउंटर क्लेम पेश किया था । गलत रूप से काउंटर क्लेम को खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलांट का है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट ने वसीयत पेश नहीं की है । उनको 26 अवसर प्रदान किये गये परन्तु कोई वसीयत पेश नहीं की है । वादग्रस्त आराजी के रेस्पोडेंट

सहखातेदार हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2067–70 एक्जीविट पी–1 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी प्रेम कंवर के खाते में दर्ज है और पक्षकारान के नाम नामान्तरकरण संख्या 30 दर्ज किया गया है । पत्रावली पर एक वसीयतनामा भी सलंग्न किया गया है जिस पर कोई एक्जीविट नम्बर अंकित नहीं है । पत्रावली पर बयान राघव सिंह सलंग्न है जिस पर कोई पी डब्ल्यू नम्बर अंकित नहीं है । इसके अलावा अन्य कोई बयान पत्रावली में सलंग्न नहीं है ।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है । उन्हें साक्ष्य पेश करने के पर्याप्त अवसर दिये गये थे । दिनांक 21.07.2014 को 29.07.2014 के लिए अंतिम अवसर दिया गया और दिनांक 29.07.2014 को अवकाश होने के कारण पत्रावली दिनांक 30.07.2014 को पेश की गई जिस पर उनके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई और उनकी साक्ष्य बन्द कर दी । इसके उपरान्त पत्रावली बहस में चलती रही और बहस में भी कई अवसर प्रदान किये गये । बहस दिनांक 03.03.2016 को सुनी गई । इससे पूर्व अपीलांट के द्वारा अपनी साक्ष्य खोले जाने के लिए कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है । अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जो वसीयत पेश की है उसको गवाहों से प्रमाणित नहीं करवाया है और जब तक वसीयत भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रमाणित न हो तब तक इस वसीयत के आधार पर अपीलांट को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । जहां तक कब्जे का प्रश्न है आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है और संयुक्त खाते में एक सहखातेदार का कब्जा समस्त

सहखातेदारों की ओर से माना जाता है । एक सहखातेदार का कब्जा दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध प्रतिकूल नहीं होता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा